INDEX

S. No.	Topic Name	Page No.
1.	संविधान का परिचय व शासन प्रणाली	1 – 5
2.	संविधान सभा व संविधान निर्माण प्रक्रिया	6 – 36
3.	संविधान की प्रस्तावना	37 – 43
4.	संविधान की अनुसूचियाँ एवं संविधान के भाग	44 – 47
5.	संविधान के स्त्रोत	48 – 49
6.	संविधान का भाग – 1 (संघ और उसका राज्य क्षेत्र)	50 – 52
7.	संविधान का भाग – 2 (नागरिकता)	53 – 61
8.	संविधान का भाग – 3 (मौलिक अधिकार)	62 – 99
9.	संविधान का भाग – 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)	100 – 111
10.	संविधान का भाग – 4A (मूल कर्त्तव्य)	112 – 113
	संविधान का भाग – 5 (संघ)	114 – 217
11.	राष्ट्रपति	115 – 135
12.	उपराष्ट्रपति	136 – 142
13.	प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्	143 – 155
14.	भारत का महान्यायवादी	156 – 158
15.	संसद	159 – 196
	Part - I संसद	161 – 163
	Part - II राज्य सभा	164 – 175
	Part - III लोकसभा	176 – 193
	Part - IV संसद की शक्तियाँ	194 – 196

S. No.	Topic Name	Page No.
16.	सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय	197 – 213
17.	नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (CAG)	214 – 217
18.	संविधान का भाग – 18 (आपातकालीन प्रावधान)	218 – 229
19.	आयोग	230 – 288
	Part - I संवैधानिक आयोग	231 – 245
	1. संघ लोकसेवा आयोग	232 – 240
	2. भारतीय निर्वाचन आयोग	241 – 245
	Part - II गैर-संवैधानिक/वैधानिक/सांविधिक आयोग	246 – 284
	1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	247 – 254
	2. राष्ट्रीय महिला आयोग	255 – 259
	3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	260 – 264
	4. केन्द्रीय सूचना आयोग	265 – 271
	5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	272 – 278
	6. लोकपाल	279 – 284
	Part - III गैर-संवैधानिक/गैर-वैधानिक/गैर-सांविधिक आयोग	285 – 288
	1. नीति आयोग	286 – 288
20.	लोक नीति	289 – 292
21.	नागरिक अधिकार पत्र	293 – 294
22.	सामाजिक अंकेक्षण	295 – 296
23.	शिकायत निर्वारण प्रणाली	297 – 298

अध्याय 1 संविधान का परिचय व शासन प्रणाली

संविधान- एक परिचय

संविधान: -
- संविधान देश का ऐसा मूलभूत कानून होता है जिसका पालन करना सरकार एवं नागरिक दोनों के लिए बाध्य हो अर्थात् संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसमें नियमों/कानूनों/परम्पराओं का समावेश होता है।
- संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'कन्स्टीटयूटियो' (कॉन्स्टीटयूरे) से हुई है जिसका अर्थ है 'व्यवस्था' या 'नियम'
- विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक 'सर हेनरी मैन' ने अपनी पुस्तक 'द प्रिंसीपल ऑफ द ह्यूमनिटी इन द वर्ल्ड' में किया।

संविधान का वर्गीकरण (प्रकार)

लिखित

- लिखित संविधान नियमों, कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है।

↓

अमेरिका, भारत, जापान, कनाड़ा, फ्रांस आदि।

अलिखित

- अलिखित संविधान परम्परा व रीति-रिवाज पर आधारित होता है।

↓

ब्रिटेन, साउदी अरब, इजराइल न्यूजीलैंड आदि।

Note:-
- सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने 1789 में तैयार किया।
- अमेरिका के संविधान को आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहते है।
- अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा व भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

संघीय संविधान

- संघीय संविधान वह होता है जो केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है अर्थात् केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है।

↓

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैण्ड आदि।

एकात्मक संविधान

- एकात्मक संविधान वह होता है जिसमें केन्द्र सरकार के पास ही सारी शक्तियाँ होती है।राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करती है।
- राज्य सरकार के पास वही शक्तियाँ होती है जो केन्द्र सरकार प्रत्यायोजित करती है। ↓

चीन, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, नॉर्वे आदि

Note:- भारत के संविधान में संघीय प्रावधानों के साथ-साथ एकात्मक प्रावधान दोनों शामिल है। इसलिए के.सी. व्हीयर ने भारत के संविधान को अर्द्ध-संघीय संविधान कहा है।

अध्याय 2 संविधान सभा व संविधान निर्माण प्रक्रिया

संविधान सभा

❖ **संविधान सभा:-** संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है अर्थात् किसी भी देश के संविधान निर्माण का कार्य देश की जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

संविधान सभा की माँग

अनौपचारिक माँगे (गैर-आधिकारिक रूप से)

1895

❖ भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने "स्वराज विधेयक" के माध्यम से संविधान सभा की माँग रखी।

❖ स्वराज विधेयक जिसे "कस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल-1895 (भारतीय संविधान विधेयक 1895)" के नाम से भी जाना जाता है।

❖ **स्वराज शब्द :-**

- यह शब्द स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दिया।
- इस शब्द का सार्वजनिक रूप से प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया।

Note:- इसे भारत के लिए संविधान तैयार करने का पहला गैर-आधिकारिक (अनौपचारिक) प्रयास माना जाता है।

1922

❖ 1922 में महात्मा गाँधी द्वारा यह कहा गया था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद की ओर से भारतीयों को कोई उपहार नहीं होगा बल्कि वह भारतीयों की आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगा। गांधी द्वारा की गई इस घोषणा को भारत में संविधान सभा की माँग के रूप में माना जाता है। यद्यपि गांधी जी के इस भाषण में संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था।

❖ 1922 में ही श्रीमति एनी बेसेन्ट की पहल पर शिमला के केन्द्रिय विधानमण्डल के दोनों सदनों (केन्द्रिय विधानसभा व राज्य परिषद्) के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविधान निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया।

1924

❖ 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की माँग प्रस्तुत की। किन्तु उस समय सरकार की और से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

❖ 1924 में ही 'स्वराज पार्टी' ने संविधान सभा की माँग की।

❖ **स्वराज पार्टी की स्थापना:-** असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी-चौरा काण्ड के कारण गांधी जी आंदोलन वापिस ले लिया। इससे नाराज होकर देशबन्धु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी, 1923 को 'स्वराज पार्टी' की स्थापना की।

Note:- यह भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की थी।

अध्याय 3

संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)

प्रस्तावना

- प्रस्तावना का स्त्रोत : → अमेरिका
- प्रस्तावना की भाषा : → भाषा आस्ट्रेलिया से ली गई है।
- प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का प्रवेश द्वारा, संविधान की कुँजी, संविधान का परिचय-पत्र कहा गया है।
- प्रस्तावना की प्रकृति न्याययोग्य (Justiciable) नहीं है।
- प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि लागू नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत के एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न (संप्रभु) समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत (स्वीकार करना या अपनाना), अधिनियमित (कानून के रूप में पारित करना) और आत्मार्पित (स्वयं को सौपना) करते है।

यें शब्द 42 वें संवि. संशो. 1976 की धारा-2 के तहत जोड़े गये जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुए।

यह शब्द 42 वें संवि. संशो. 1976 की धारा-2 के तहत जोड़ा गया जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुए।

अध्याय 5

संविधान के स्त्रोत

संविधान के स्त्रोत

भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। इनमें से कई देशों के संविधान से अच्छे- अच्छे प्रावधान हमारे संविधान में लिये गये थे। इन्हीं को संविधान के स्त्रोत कहा जाता है।

(1) 1935 का भारत शासन अधिनियम

- भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव "भारत शासन अधिनियम-1935" का रहा।
- इस अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन करके लिये गये है अर्थात् भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग "भारत शासन अधिनियम-1935" पर आधारित है।
- 1935 के अधिनियम से निम्नलिखित प्रावधान लिये गये है:-
  - (1) संधीय ढ़ाँचा व प्रशासनिक ढ़ाँचा
  - (2) प्रांतीय स्वायत्तता
  - (3) आपातकालीय उपबंध का विस्तृत ढ़ाँचा
  - (4) राज्यपाल का कार्यकाल
  - (5) लोक सेवा आयोग (अनु. 315 से 323)
  - (6) न्यायपालिका की संरचना (अनु. 124 से 147)
  - (7) संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की संरचना (शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन)
  - (8) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान

(1) ब्रिटेन (इग्लैण्ड) के संविधान से

- (1) संसदीय शासन प्रणाली
- (2) संसदीय विशेषाधिकार
- (3) द्वि-सदनात्मक व्यवस्था (लोकसभा व राज्यसभा)
- (4) मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तर दायी होगे।
- (5) मंत्रिमण्डल प्रणाली (कैबिनेट प्रणाली)
- (6) प्रधानमंत्री का पद
- (7) लोकसभा अध्यक्ष(स्पीकर) का पद
- (8) महान्यायवादी का पद (अनु.-76)
- (9) नियन्त्रक एंव महालेखा परिक्षक (CAG) (अनु. 148 से 151)
- (10) एकल नागरिकता (अनु.-5 से 11)
- (11) विधि (कानून) के समक्ष समता
- (12) विधि (कानून) निर्माण की प्रक्रिया
- (13) बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट
- (14) First Past the post system (सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय)

(3) अमेरिका (USA) के संविधान से

- (1) प्रस्तावना के शब्द (हम भारत के लोग)
- (2) राष्ट्रपति का पद (अनु. 52)
- (3) उपराष्ट्रपति का पद (अनु. 63)
- (4) राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (अनु. 61)
- (5) मौलिक (मूल) अधिकार (अनु. 12 से 35)
- (6) न्यायिक पुनर्विलोकन (समीक्षा)
- (7) स्वतंत्र न्यायपालिका
- (8) जनहित याचिका (PIL)
- (9) न्यायिक सर्वोच्चता (विधि के समक्ष समान संरक्षण)
- (10) न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
- (11) वित्तीय आपातकाल
- (12) संवैधानिक सर्वोच्चता (संविधान की सर्वोच्चता)

अध्याय 6

भाग-1(संघ और उसका राज्यक्षेत्र)

अनु . 1 ➡ संघ और उसका राज्यक्षेत्र

7 वाँ संवि. संशो. 1956 के तहत प्रतिस्थापित

1(1) भारत (राज्यों का संघ)

BARE ACT:- भारत अर्थात् इण्डियाँ, राज्यों का संघ होगा।

अर्थात्

- भारत का संवैधानिक नाम भारत (India) है।
- भारत की प्रकृति संघात्मक (Union) है।
- भारत राज्यों के संघ से मिलकर बना है।
- राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।

1(2) राज्यों व क्षेत्रों की सूची

BARE ACT:- राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

अर्थात्

- भारत में कौन-कौन से राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश होगे और उनके क्षेत्र क्या होंगे यह सब पहली अनुसूची में दिया गया है।
- पहली अनुसूची में 28 राज्य व 8 केन्द्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है।

1(3) भारत के राज्यक्षेत्र का विस्तार

BARE ACT:- भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित समाविष्ट (शामिल) होंगे।

(a) राज्यों के राज्यक्षेत्र अर्थात् 28 राज्यों का क्षेत्र

(b) पहली अनुसूची में विनिदिष्ट संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् 8 केन्द्र शासित प्रदेश का क्षेत्र

(C) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित जाए अर्थात् भविष्य में अर्जित किए गए राज्य का क्षेत्र।

Note:-
- अनुच्छेद 1(1) में प्रयुक्त शब्द "राज्यों का संघ" (Union of State) हमने कनाड़ा के संविधान से लिया है।
- कनाड़ा की उत्पति ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम-1867 के तहत हुई इसलिए कुछ किताबों में "राज्यों का संघ (Union of State)" शब्द इस अधिनियम से लिया हुआ माना गया है।

अनु . 2 ➡ नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

BARE ACT:-

- संसद, विधि द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

अर्थात्

- संसद को अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है यह सब संसद द्वारा तय शर्तो और नियमों के अनुसार होगा।

Note:- सिक्किम का भारत में विलय (1975) इसी अनुच्छेद के तहत किया गया था।

अध्याय 7

भाग-2 नागरिकता (अनु. 5 से 11)

नागरिकता

- संविधान के भाग-2 में उल्लेख
- अनु. 5 से अनु. 11
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
- स्त्रोत :→ एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है।
- अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
- नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवम्बर, 1949 को लागू हुए।
- संसद् ने नागरिकता के लिए 1955 में 'नागरिकता अधिनियम-1955' पारित किया।

नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद

अनु. 5	अनु. 6	अनु. 7	अनु. 8	अनु. 9	अनु. 10	अनु. 11
संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात् पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात् पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात् भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता के अधिकार	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अर्थात् संसद द्वारा नागरिकता पर विधि बनाना

अनु . 5 ⇨ संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

BARE Act:- इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास (स्थाई निवास) है और

(a) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था या

(b) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(c) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

अर्थात्

❖ संविधान के लागू होने के समय (26 जनवरी, 1950) पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि

1. उसका भारत में स्थाई निवास (अधिवास) हो और
2. निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो-
   (a) उसका जन्म भारत में हुआ हो, या
   (b) उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या
   (c) उसने संविधान के प्रारम्भ से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो।

अनु . 6 ⇨ पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात् पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

❖ अनु.5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में आया है वह इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता हो:-

(a) **जन्म/वंश की शर्त :→** यदि वह स्वयं या उसके माता या पिता या उसके पितामह या पितामही (दादा या दादी) या उसके मातामह या मातामही (नाना या नानी) में से कोई मूल रूप से या अधिनियमित रूप से 'भारत शासन अधिनियम, 1935' में परिभाषित भारत में जन्मा हुआ था।

(b) **प्रव्रजन की तिथि के अधार पर शर्तें :→** प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को दो वर्गों में बाँटा गया है:-

(i) जो 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आ गए थे।

(ii) जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद भारत आए है।

(i) **19 जुलाई, 1948 से पहले प्रव्रजन :→** यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले ही भारत में आ गया है और वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा।

(ii) **19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद प्रव्रजन :→** यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद भारत में आया है तो वह तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसने नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन किया हो-

- यह आवेदन संविधान के प्रारम्भ से पहले भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति से ऐसे अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जिसे सरकार ने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया हो और उस अधिकारी द्वारा उसे भारत का नागरिक के रूप में पंजीकरण कर लिया गया हो।

Note:- यदि कोई व्यक्ति आवेदन से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत में नहीं रहा तो उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जायेगा अर्थात् पंजीकरण तभी हो सकता है जब वह व्यक्ति आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रह चुका हो।

अध्याय 8

भाग -3 मौलिक (मूल)अधिकार

☞ मौलिक (मूल)अधिकार

- संविधान का भाग -3
- अनु. -12 से 30 तथा 32 से 35 (कुल 23 अनुच्छेद)
- संविधान के भाग-3 को भारत का अधिकार-पत्र अथवा भारत का मैग्नाकार्टा (Magna -Carta) कहा जाता है।
- स्त्रोत: → अमेरिका से लिए है।

मौलिक (मूल) अधिकारो की उत्पत्ति/उद्भव

ब्रिटेन

1215 ई.

1215 ई. में ब्रिटेन की जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतन्त्राओं को मान्यता प्रदान करने के ''मैग्नाकार्टा'' पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था । इसके बाद ब्रिटिश जनता ने 1689 में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Right) दस्तावेज के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वतन्त्राएँ प्राप्त की।

↓

Note :- मूल अधिकारों की उत्पति यही से मानी जाती है

फ्रांस

1789 ई.

मानव अधिकारों की मांग के लिए लड़ी गई फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद 1789 में फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा द्वारा नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारम्भ की गई

↓

- क्रांति का नारा:→ स्वत्रंता, समानता व बधुत्व की भावना

अमेरिका

1791 ई.

सर्वप्रथम अपने सविधान में मूल अधिकरों को शामिल करने वाला देश अमेरिका ही था।

↓

अमेरिका नें 10 वें सविधान संशोधन द्वारा अधिकार पत्र (Bill of Right) द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया।

↓

इसके बाद दुनियाँ के अन्य देशों जैसे जर्मनी (वाइमर संविधान) तथा आयरलैण्ड ने अपने संविधान में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये।

रूस

1936 ई.

रूस के संविधान मे मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया गया।

Note :- ❖ द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात स्वतन्त्र हुए राष्ट्रो ने अपने-अपने संविधानों में मौलिक अधिकारो को शामिल किया। जिनमें से भारत भी एक देश था जिसने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया।

Part - I

संवैधानिक आयोग

1. भारत का महान्यायवादी ⟶ चर्चा कर चुके है (पेज नं. 156 से 158)
2. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) ⟶ चर्चा कर चुके है (पेज नं. 214 से 217)
3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
4. भारतीय निर्वाचन आयोग

लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोग

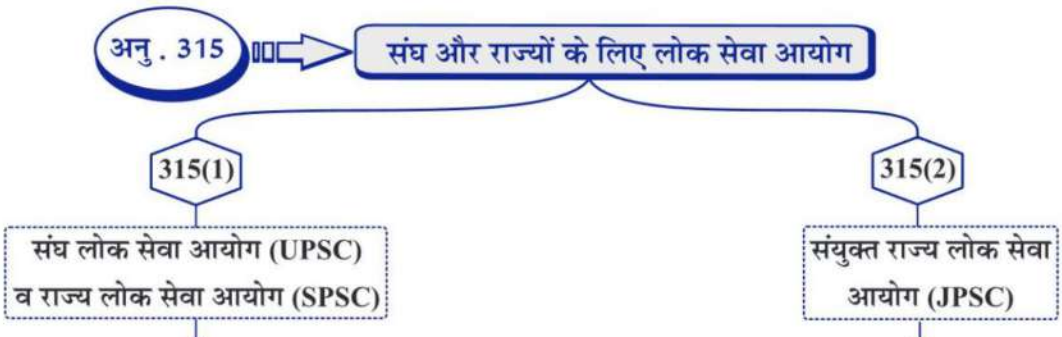
- संवैधानिक आयोग
- संविधान के भाग-14 के अध्याय-2 में उल्लेख
- अनु. 315 से 323 तक
- नोडल मंत्रालय :→ कार्मिक मंत्रालय
- Ist अध्यक्ष (1926) :→ सर रॉस बार्कर
- Ist भारतीय अध्यक्ष (1947) :→ H.J. कृपलानी
- वर्तमान अध्यक्ष (2026) :→ डॉ अजय कुमार (14 मई 2025 को नियुक्त)
- इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है-



संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

पृष्ठभूमि:-

- ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तरदायी सरकार स्थापित करने हेतु मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम-1919 बनाया गया। इस अधिनियम में 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' का प्रावधान था। जिसके अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 1926 में 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' का गठन किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम-1935 के अन्तर्गत इसका नाम बदलकर 'संघीय लोक सेवा आयोग' किया गया। इसी दौरान प्रान्तों के लिए 'प्रांतीय लोक सेवा आयोग' स्थापित किए गये।
- 26 जनवरी, 1950 को इसका नाम बदलकर 'संघ लोक सेवा आयोग' कर दिया गया।



- संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कहा जायेगा।
- प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसे राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) कहा जायेगा।

BARE ACT:-

- दो या दो से अधिक राज्य यह करार कर सकेगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा।
- इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के सदन द्वारा (जहाँ दो सदन है तो वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा) पारित किया जाये तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेगी।

Note:- संयुक्त आयोग का गठन संसद करती है इसलिए संयुक्त आयोग एक वैधानिक आयोग है।

Part - II

गैर-संवैधानिक/वैधानिक/सांविधिक आयोग

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
2. राष्ट्रीय महिला आयोग
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
4. केन्द्रीय सूचना आयोग
5. केन्द्रीय सर्तकता आयोग
6. लोकपाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- मानवाधिकार आयोग
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
    - अधिनियम की धारा-3 के तहत गठन
  - राज्य मानवाधिकार आयोग
    - अधिनियम की धारा-21 के तहत गठन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- गैर-संवैधानिक/वैधानिक/सांविधिक आयोग
- प्रावधान : → मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के तहत
- राष्ट्रपति की स्वीकृति/प्रभावी हुआ/लागू हुआ : → 28 सितम्बर, 1993
- गठन/या अधिसूचना जारी : → 12 अक्टूबर, 1993
- मुख्यालय : → नई दिल्ली
- नोडल मंत्रालय : → गृह मंत्रालय
- अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना : → 10 दिसम्बर, 1948 (अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस)
- अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल : → 3 वर्ष/70 वर्ष (जो भी पहले हो)
- संरचना : → बहुसदस्यीय निकाय (1 अध्यक्ष + 5 सदस्य + 7 पदेन सदस्य)
- प्रथम अध्यक्ष : → न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा
- वर्तमान अध्यक्ष : → न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन (30 दिसम्बर, 2024 को नियुक्त)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की महत्वपूर्ण धाराएँ

- धारा -2 → परिभाषाएँ
- धारा -3 → गठन व संरचना
- धारा -4 → आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
- धारा -5 → अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र व हटाने का प्रावधान
- धारा -6 → अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल
- धारा -7 → कार्यवाहक अध्यक्ष
- धारा -8 → सेवा की शर्तें
- धारा -11 → आयोग के अधिकारी और कर्मचारी
- धारा -12 → आयोग के कार्य

Part - III

गैर-संवैधानिक/गैर-वैधानिक/गैर-सांविधिक आयोग

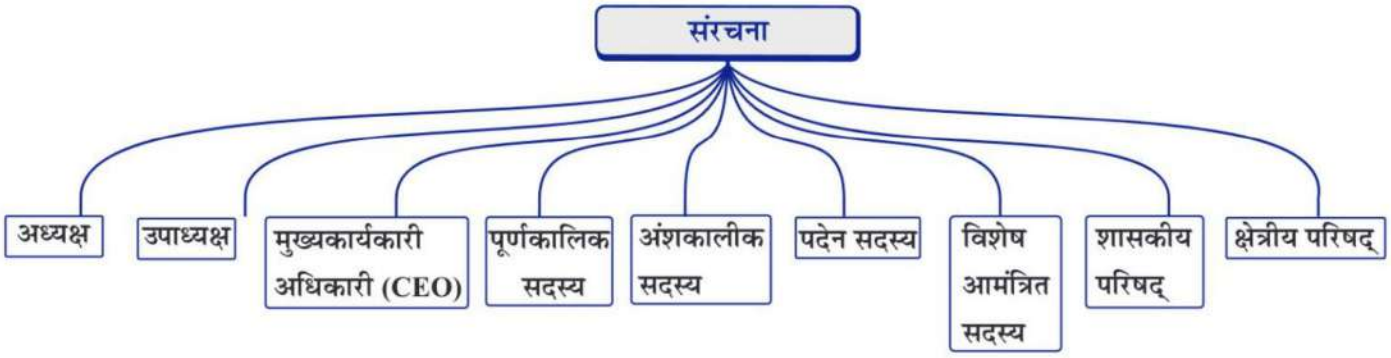
1. नीति आयोग

नीति आयोग

नीति आयोग

- गैर-संवैधानिक/गैर-वैधानिक/गैर-सांविधिक आयोग
- स्थापना : → 1 जनवरी, 2015
- पूरा नाम : → राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (National Institution for Transforming India)
- प्रावधान : → भारत सरकार का कैबिनेट प्रस्ताव
- I[st] उपाध्यक्ष : → अरविन्द पनगड़िया
- वर्तमान उपाध्यक्ष : → सुमन बेरी (1 मई 2022 को नियुक्त)
- वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : → B.V.R. सुब्रमण्यम
- पूराना नाम : → योजना आयोग (गठन -15 मार्च, 1950)
- उद्देश्य : → सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के साथ मिलकर दीर्घकालिक नीतियाँ बनाना।

संरचना



1. **अध्यक्ष:-** भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते है।
2. **उपाध्यक्ष:-**
   - ❖ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
   - ❖ आयोग का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है।
   - ❖ यह कैबिनेटमंत्री के समकक्ष होता है।
3. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):-**
   - ❖ प्रधानमंत्री द्वारा सचिव स्तर के अधिकारी को CEO नियुक्त किया जाता है।
   - ❖ आयोग के प्रशासन और नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी CEO की होती है।
4. **पूर्णकालिक सदस्य:-**
   - → ये राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होते है।
   - → विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री आदि।
   - → इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। (सामान्यतया 2 से 4 सदस्य)
5. **अंशकालिक सदस्य:-**
   - ❖ विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य

अध्याय 20

लोक नीति

लोकनीति

- लोकनीति, सरकार के वे निर्णय, नियम, कार्यक्रम और कार्यवाहियाँ है जो जनता की समस्याओं को हल करने और सामाजिक उद्देशय को प्राप्त करने के लिए बनाती और लागू करती है यानी "सरकार क्या करती है, क्यों करती है और कैसे करती है" यही लोकनीति है।
- लोकनीति में लोक का अर्थ सरकार से है।
- दूसरे शब्दों में सरकार के द्वारा बनाई गई नीति को ही लोकनीति कहते है।

लोकनीति का संवैधानिक आधार

प्रस्तावना

- प्रस्तावना लोक नीति की आत्मा है।
- प्रस्तावना लोकनीति के मूल उद्देश्य तय करती है।

↓

- न्याय
- स्वतंत्रता
- समानता
- बंधुत्व
- एकता और अखंडता

उदाहरण

↓

- सामाजिक न्याय : → आरक्षण नीति
- आर्थिक न्याय : → गरीबी उन्मूलन योजनाएँ

मूल अधिकार

- मूल अधिकार लोकनीति की सीमा तय करते है।
- लोकनीति मूल अधिकारों के अनुरूप होनी चाहिए उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

↓

प्रमुख अनुच्छेद

- अनु.- 14 : → समानता
- अनु.- 15(4), 16(4) : → सकारात्मक भेदभाव
- अनु.- 19 : → स्वतंत्रताएँ
- अनु.- 21 : → जीवन व गरिमा

उदाहरण

↓

- शिक्षा नीति
- आरक्षण नीति

नीति-निर्देशक तत्व

- नीति-निर्देशक तत्व लोक नीति की दिशा है।
- लोकनीति का सबसे मजबूत संवैधानिक आधार है।

↓

प्रमुख अनुच्छेद

- अनु.- 38 : → लोक कल्याणकारी राज्य
- अनु.- 39 : → आजीविका, समान वेतन
- अनु.- 41 : → काम, शिक्षा, सहायता
- अनु.- 42 : → मातृत्व संरक्षण
- अनु.- 43 : → जीवन- स्तर
- अनु.- 47 : → पोषण, स्वास्थ्य

उदाहरण

↓

- VB-G-RAM-G (मनरेगा)(अनु.-41)
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अनु.-47)